# तेज किरण जैन और अन्य

बनाम

# एम० संजीव रेड्डी और अन्य

(Tej Kiran Jain and Others

*Vs.*

M. Sanjiva Reddy and Others)

(8 मई, 1970)

(मुख्य न्यायाधिपति एम० हिदायतुल्लाह, न्या० जे० सी० शाह, के० एस० हेगडे, ए० एन० रे और आई० डी० दुआ)

**संविधान—अनुच्छेद 105(2)—संसद् सदस्यों द्वारा "संसद् में कही हुई किसी बात" के विषय में न्यायालय में कोई कार्यवाई नहीं चल सकेगी—इतरोक्ति—अनुच्छेद 135(1)(क)—इस अनुच्छेद के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा अनुदत्त, प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद, अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी को यह सूचना दी जानी लाजिमी है कि अपील फाइल की गई है—यदि प्रतिवादी को जारी किया गया समन उसे प्राप्त हो जाता है और वह न्यायालय में हाजिर नहीं होता है, तो न्यायालय यह उपधारणा कर सकता है कि प्रतिवादी अपनी प्रतिरक्षा में कुछ नहीं कहना चाहता और वह एकपक्षीय रूप से कार्य कर सकता है—दाण्डिक मामलों में यदि साक्षी और समनित व्यक्ति समन प्राप्त किए जाने के बाद न्यायालय में हाजिर नहीं होते, तो वारण्ट जारी किया जा सकेगा।**

अपीलार्थियों ने मानहानि विषयक कथनों के सम्बन्ध में, जिनके बारे में यह अभिकथित किया गया था कि, संसद् के कुछ सदस्यों ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के दौरान लोक-सभा में किया था, नुकसानी के लिए वाद फाइल किया। उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए वाद खारिज कर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 105 को देखते हुए संसद् में कही हुई किसी बात के विषय में न्यायालय में कोई भी कार्यवाही नहीं चल सकती। किन्तु उसने यह प्रमाणपत्र अनुदत्त कर दिया कि यह मामला संविधान के अनुच्छेद 133(1)(क) के अधीन इस न्यायालय में अपील किए जाने के लिए उपयुक्त है। अपीलार्थियों की ओर से 1964 के विशेष निर्देश संख्या 1 में इस न्यायालय द्वारा व्यक्त मत के प्रति निर्देश करके, जिसमें अनुच्छेद 212 के उपबन्धों के सम्बन्ध में विचार प्रकट

किए गए थे, यह दलील दी गई कि उस अनुच्छेद के अधीन दी गई प्रक्रिया की अभिकथित अनियमितता के विरुद्ध थी, न कि किसी अवैधता के विरुद्ध और यह दलील दी गई कि इस मामले में भी वही सिद्धान्त यह अवधारित करने के लिए लागू किया जाना चाहिए कि ध्यान आकषरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में जो बात कही गई थी, क्या वह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के विषय में हुए विचार-विमर्श के बाहर थी और यह कि क्या अनुच्छेद 105(2) द्वारा अनुदत्त अनुमति ससद् के कामकाज के लिए सुसंगत थी, न कि किसी ऐसी बात के लिए जोकि असंगत थी। अपील खारिज करते हुए,

**अभिनिर्धारित** —इस न्यायालय के नियमों के अधीन, प्रमाणपत्र दिए जाने के बाद अपील दायर करनी होती है और अपीलार्थियों द्वारा प्रत्यर्थियों को अपील के दायर करने सम्बन्धी सूचना यह इत्तिला देने के लिए दी जाती है जिससे कि वे वह कार्यवाही कर सकें जो कि वे समुचित या आवश्यक समझें। सूचना तामील होने के बाद, यह न्यायालय इस अपील के बारे में यह मानता है कि वह उचित रूप से दायर की गई है और जबकि सुनवाई का समय मिले, तो वह उसकी सुनवाई कर सकता है। सूचना के बिना मामले की सुनवाई नहीं की जा सकती। जो सूचना जारी की जाती है, वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए समन नहीं होती है। वह तो मात्र इस तथ्य की सूचना होती है कि अपील दायर कर दी गई है। जिस पक्षकार को सूचना मिलती है, उस पर यह चुनने की बात निर्भर होती है कि वह उपस्थित हो या न हो। समन प्रतिवादियों को, साक्षियों को और ऐसे व्यक्तियों को जारी किए जाते हैं जिनके विरुद्ध दण्ड न्यायालय में परिवाद फाइल किए जाते हैं। यदि समन प्रतिवादी को जारी किया गया है और वह उपस्थित नहीं होता है, तो न्यायालय यह मानकर कार्यवाही कर सकता है कि उसके विरुद्ध प्रतिरक्षा में प्रस्तुत करने के लिए कुछ भी नहीं है और एकपक्षीय रूप से की गई कार्यवाही के बारे में यह मान सकता है कि वादी का दावा स्वीकार किया जाना चाहिए। यह बात इस न्यायालय में अपील के दायर किए जाने की सूचना के परिणामस्वरूप नहीं होती है। न्यायालय को अनुपस्थित प्रत्यर्थी के विरुद्ध, भले ही एकपक्षीय रूप से क्यों न सही, की गई अपील के सम्बन्ध में कार्यवाही करनी पड़ती है। यदि साक्षी को या ऐसे व्यक्ति को जिसके विरुद्ध अपराध से सम्बन्धित किसी विधि के अधीन परिवाद किया गया हो, समन जारी किया जाता है और वह साक्षी या व्यक्ति जिसको समनित किया गया है, सूचना की तामील के बाद भी अनुपस्थित रहता है, तो उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जा सकता है। (पैरा 10)

1970(5) eILR(PAT) SC 1



| निर्दिष्ट निर्णय | | पैरा |
|---|---|---|
| [1965] | (1965) 1 एस० सी० आर० 413, 455 : **1964 का विशेष निर्देश संख्या 1** (Special Reference No. 1 of 1964) | 7 |

**सिविल अपीली अधिकारिता : 1969 की सिविल अपील संख्या 2572.**

1969 के वाद संख्या 228 में दिल्ली उच्च न्यायालय के तारीख 4 अगस्त, 1969 वाले निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

**अपीलार्थी की ओर से** — सर्वश्री पी० एन० लेखी और के० वी० रोहतगी

**प्रत्यर्थी संख्या 6 की ओर से** — श्री निरेन डे, भारत के महान्यायवादी, सर्वश्री एल० एम० सिंघवी, आर० एच० ढेबर और एस० पी० नायर

न्यायालय का निर्णय मुख्य न्यायाधिपति एम० हिदायतुल्लाह ने दिया ।

**मुख्य न्यायाधिपति हिदायतुल्लाह—**

यह अपील दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ के तारीख 4 अगस्त, 1969 वाले उस आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा उसने 6 अपीलार्थियों द्वारा फाइल किए गए उस वादपत्र को अस्वीकृत कर दिया था, जिसमें उन लोगों ने श्री संजीव रेड्डी (लोक सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष) श्री वाई० बी० चह्वाण (गृह मंत्री) और संसद् के तीन सदस्यों द्वारा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के दौरान लोक सभा में किए गए मानहानिकारक कथन के लिए नुकसानी के तौर पर 26,000 रुपये की डिक्री का दावा किया था । उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि उस बात के संबंध में, जो कुछ भी संविधान के अनुच्छेद 105(2) को देखते हुए, संसद् में कहा गया था, उसके संबंध में न्यायालय में कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकती। किन्तु उच्च न्यायालय ने यह प्रमाणपत्र दिया कि यह मामला संविधान के अनुच्छेद 133(1) (क) के अधीन इस न्यायालय में अपील किए जाने के लिए उपयुक्त है और उसी के आधार पर यह अपील फाइल की गई है ।

2. प्रत्यर्थियों को अपील दायर करने सम्बन्धी सूचना सम्यक् अनुक्रम में जारी की गई थी, किन्तु वे उपस्थित नहीं हुए हैं । संघ सरकार, जो कि, अपने ही निवेदन पर, उच्च न्यायालय में ही पक्षकार के रूप में शामिल हुई थी, अटर्नी जनरल की मार्फत उपस्थित हुई । हमने संघ सरकार की सुनवाई करना आवश्यक नहीं समझा ।

3. जहां तक कि हमारे प्रयोजन के लिए मामले के तथ्य सुसंगत हैं, वहां तक उन्हें संक्षेप में वर्णित किया जा सकता है। अपीलार्थियों का दावा यह है कि वे पुरी स्थित गोवर्धन पीठ के जगदगुरु शंकराचार्य के प्रशंसक और अनुयायी हैं। मार्च 1969 में पटना में विश्व हिन्दू धार्मिक सम्मेलन आयोजित किया गया था। शंकराचार्य ने उसमें भाग लिया था, और यह बताया गया है कि उन्होंने यह मत व्यक्त किया था कि छुआछूत हिन्दू धर्म के सिद्धान्तों के अनुसार है और यह कि कोई भी विधि उस रास्ते में रोड़ा नहीं अटका सकती है, और यह कि उस समय जब कि राष्ट्रीय गान गाया गया था, वे वहां से बहिर्गमन कर दिए गए थे।

4. 2 अप्रैल, 1969 को श्री नरेन्द्र कुमार सालवे, संसद् सदस्य, (देतुल) ने लोक सभा में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया और उस घटना की विशिष्टियों के बारे में बताया। उसके बाद उस पर विचारविमर्श हुआ और प्रत्यर्थियों ने शंकराचार्य के प्रति अत्यन्त घृणा प्रदर्शित की। अपीलार्थियों के मतानुसार प्रत्यर्थियों ने—

> "स्वयं ही ऐसी भाषा का प्रयोग किया जो कि गम्भीर होने के स्थान पर अधिक ओछी सम्मानित होने के स्थान पर अधिक विगलित, संयत होने के स्थान पर अधिक असंसदीय थी और क्रीड़ापरक आमोद-प्रमोद के साथ-साथ, परिहास तथा श्लेष की, झड़ी लगा दी थी, और पुरी स्थित गोवर्धन-पीठ के परमपावन जगद्गुरु शंकराचार्य अनन्त श्री विभूषित स्वामी श्री निरंजन देव तीर्थ को कुष्ठग्रस्त कुत्ते के रूप में प्रस्तुत किया गया था।"

अपीलार्थियों को जो कि शंकराचार्य का बहुत ही सम्मान करते हैं, यह महसूस हुआ कि उन पर दोषारोपण किया गया है और उन्होंने नुकसानी के तौर पर 26,000 रुपये की नुकसानी के लिए कार्रवाई की। वादपत्र खारिज कर दिया गया, क्योंकि उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि उसे इस वाद का विचारण करने की अधिकारिता प्राप्त नहीं है।

5. संविधान के अनुच्छेद 105 में, जिसमें संसद् की तथा उसके सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों की परिभाषा की गई है, निम्नलिखित रूप में उपबन्ध किया गया है —

> "105 (1) इस संविधान के उपबन्धों के तथा संसद् की प्रक्रिया के विनियामक नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए संसद में वाक्-स्वातन्त्र्य होगा।

(2) संसद् में या उसकी किसी समिति में कही हुई किसी बात अथवा दिये हुए किसी मत के विषय में संसद् के किसी सदस्य के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही न चल सकेगी और न किसी व्यक्ति के विरुद्ध, संसद् के किसी सदन के प्राधिकार के द्वारा या अधीन किसी प्रतिवेदन, पत्र, मतों या कार्यवाहियों के प्रकाशन के विषय में इस प्रकार की कोई कार्यवाही चल सकेगी ।

(3) अन्य बातों में संसद् के प्रत्येक सदन की तथा प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ऐसी होंगी, जैसी संसद्, समय-समय पर, विधि द्वारा परिभाषित करे, तथा जब तक इस प्रकार परिभाषित नहीं की जातीं तब तक वे ही होंगी जो इस संविधान के प्रारम्भ पर इंग्लिस्तान की पार्लियामेंट के हाउस आफ-कामन्स की तथा उसके सदस्यों और समितियों की हैं ।

(4) जिन व्यक्तियों को इस संविधान के आधार पर संसद् के किसी सदन अथवा उसकी किसी समिति में बोलने का, अथवा अन्य प्रकार से उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का, अधिकार है उनके सम्बन्ध में खण्ड (1), (2) और (3) के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे संसद् के सदस्यों के सम्बन्ध में लागू हैं ।"

6. उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि इस अनुच्छेद के खण्ड (2) को देखते हुए, उस बात के संबंध में जो प्रत्यर्थियों ने संसद् में कही थी, किसी भी न्यायालय में कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकती है और इसी कारण से इस वादपत्र को अवश्य ही अस्वीकृत कर दिया जाना चाहिए ।

7. इस अपील पर बहस करते हुए श्री लेखी ने हमारा ध्यान 1964 के विशेष निर्देश संख्या 1 [1] में इस न्यायालय द्वारा व्यक्त मत की ओर खींचा, जिसमें इस न्यायालय ने, संविधान के अनुच्छेद 212 के उपबन्धों पर विचार करते हुए, यह मत व्यक्त किया था उस अनुच्छेद के अधीन जो उन्मुक्ति प्रदत्त की गई है, वह प्रक्रिया की अभिकथित अनियमितता के विरुद्ध है, न कि किसी अवैधता के विरुद्ध, और यह दलील दी कि यह अवधारित करने में वही सिद्धान्त अपनाया जाना चाहिए कि जो कुछ भी कहा गया था, क्या वह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर हुए विचार-विमर्श की परिधि से बाहर था । उसके मतानुसार, अनुच्छेद 105 के दूसरे खण्ड द्वारा अनुदत्त उन्मुक्ति केवल उसी बात के संबंध में है जो कि संसद् के कामकाज से सुसंगत हो, न कि किसी ऐसी बात से जो कि पूरी तरह से असंगत हो ।

1 (1965) 1 एस० सी० आर० 413, 455.

8. हमारी राय में इस अनुच्छेद के उपबन्धों का अर्थान्वयन उस रूप में करना सम्भव नहीं है, जिसमें कि सुझाव दिया गया है। इस अनुच्छेद से वही बात अभिप्रेत है, जो कि उसकी भाषा से अर्थ निकलता है तथा जो कि और अधिक स्पष्ट नहीं हो सकती। यह अनुच्छेद अन्य बातों के साथ-साथ 'संसद में...... .........कही हुई किसी बात" के विषय में अन्य बातों के साथ-साथ उन्मुक्ति प्रदत्त करता है। 'किसी बात' शब्द व्यापक महत्व के हैं और वे 'सभी बात' के समतुल्य हैं। 'संसद में' शब्दों से एकमात्र परिसीमा उत्पन्न होती है और उससे संसद की बैठक के दौरान तथा संसद के कामकाज के दौरान अभिप्रेत है। हमारा सम्बन्ध लोक सभा में दिए गए भाषणों से ही है। यदि यह साबित कर दिया जाता है कि संसद की बैठक चल रही है और उसका कामकाज किया जा रहा है, तो उस कामकाज के दौरान कही गई किसी भी बात के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय में कार्यवाहियां नहीं की जा सकती। यह उन्मुक्ति न केवल पूर्ण है, बल्कि उसे पूर्ण होना भी चाहिए। सरकार की संसदीय प्रणाली का यह सार है कि लोक प्रतिनिधियों को विधिक परिणामों के भय के बिना अपने विचार व्यक्त करने की छूट होनी चाहिए। वे जो कुछ कहते हैं, वह संसद के नियमों द्वारा निश्चित अनुशासन के, सदस्यों की सद्बुद्धि के और अध्यक्ष द्वारा कार्यवाहियों के नियंत्रण के अध्यधीन होती है। न्यायालयों को ऐसे मामले में हस्तक्षेप करने का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होता और वास्तव में उन्हें कोई भी अधिकार प्राप्त भी नहीं होना चाहिए।

9. श्री लेखी ने अपनी दलीलों को आयर लैण्ड के एक मामले के सादृश्य पर और 'मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस' में प्रतिवेदित मास्साचूसेट्स में से उद्धृत एक दूसरे मामले के आधार पर प्रस्तुत करने की कोशिश की है। हमारे संविधान के स्पष्ट उपबंधों को देखते हुए हमें किसी अन्य विधायी निकायों के सादृश्यों के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से अपीलाधीन विनिश्चय सही था। अपील निष्फल होती है और उसे खारिज किया जाता है। किन्तु खर्चे के संबंध में कोई भी आदेश नहीं दिया जाता है।

10. इस मामले को समाप्त करने से पूर्व हम अपील के दायर होने सम्बन्धी सूचना के प्रति निर्देश करना चाहेंगे। वाद 26,000 रुपये के लिये था और उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 133 के अधीन प्रमाणपत्र दिया था। इस न्यायालय के नियमों के अधीन, प्रमाणपत्र दिए जाने के बाद अपील दायर करनी होती है और अपीलार्थियों द्वारा प्रत्यर्थियों को अपील के दायर करने सम्बन्धी सूचना यह इत्तिला देने के लिए दी जाती है जिससे के वे

1970(5) eILR(PAT) SC 1


वह कार्यवाही कर सकें जो कि वे समुचित या आवश्यक समझें। सूचना तामील होने के बाद, यह न्यायालय इस अपील के बारे में यह मानता है कि वह उचित रूप से दायर की गई है और जब कि सुनवाई का समय मिले, तो वह उसकी सुनवाई कर सकता है। सूचना के बिना मामले की सुनवाई नहीं की जा सकती। जो सूचना जारी की जाती है, वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए समन नहीं होती है। वह तो मात्र इस तथ्य की सूचना होती है कि अपील दायर कर दी गई है। जिस पक्षकार को सूचना मिलती है, उस पर यह चुनने की बात निर्भर होती है कि वह उपस्थित हो या न हो। समन प्रतिवादियों को, साक्षियों को और ऐसे व्यक्तियों को जारी किए जाते हैं जिनके विरुद्ध दण्ड न्यायालय में परिवाद फाइल किए जाते हैं। यदि समन प्रतिवादी को जारी किया गया है और वह उपस्थित नहीं होता है, तो न्यायालय यह मानकर कार्यवाही कर सकता है कि उसके विरुद्ध प्रतिरक्षा में प्रस्तुत करने को कुछ भी नहीं है और एकपक्षीय रूप से की गई कार्यवाही के बारे में यह मान सकता है कि वादी का दावा स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। यह बात इस न्यायालय में अपील के दायर किए जाने की सूचना के परिणामस्वरूप नहीं होती है। न्यायालय को अनुपस्थित प्रत्यर्थी के विरुद्ध, भले ही एकपक्षीय रूप से क्यों न सही, की गई अपील के सम्बन्ध में कार्यवाही करनी पड़ती है। यदि साक्षी को या ऐसे व्यक्ति को जिसके विरुद्ध अपराध से सम्बन्धित किसी विधि के अधीन परिवाद किया गया हो, समन जारी किया जाता है और वह साक्षी या व्यक्ति जिसको समनित किया गया है, सूचना की तामील के बाद भी अनुपस्थित रहता है, तो उसकी गिरफ्तारी का वारण्ट जारी किया जा सकता है। हमें आशा है कि इन टिप्पणियों से वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।

अपील खारिज की गई।

श्री०

---